प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक : 20 फरवरी, 2019

विषय: आर0सी0एस0 एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा सेवाओं के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 553/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 11 जनवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित आगरा तथा कानपुर एयरपोर्ट से संचालित उड़ानों के प्रारम्भ होने की तिथि से दिनांक 03 सितम्बर, 2018 तक सुरक्षा सेवाएँ (सी0आई0एस0एफ0 बल की तैनाती) प्रदान करने तथा सुरक्षा उपकरणों के Hiring charges रू0 5,50,26,122/- (रूपए पांच करोड़ पचास लाख छब्बीस हजार एक सौ बाईस मात्र) का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(c) के प्राविधान के अनुसार आर0सी0एस0 हवाईअड्डों पर सुरक्षा तथा अग्निशमन सम्बन्धी सेवायें राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी हैं । अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित आगरा तथा कानपुर एयरपोर्ट से संचालित उड़ानों के प्रारम्भ होने की तिथि से दिनांक 03 सितम्बर, 2018 तक सुरक्षा सेवाएँ (सी0आई0एस0एफ0 बल की तैनाती) प्रदान करने तथा सुरक्षा उपकरणों के Hiring charges रू0 5,50,26,122/- (रूपए पांच करोड़ पचास लाख छब्बीस हजार एक सौ बाईस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 5,50,26,122/- (रूपए पांच करोड़ पचास लाख छब्बीस हजार एक सौ बाईस मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।|

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक " 3053-नागर विमानन-01 हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा |

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर- 2(1) में निहित व्यवस्था के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं |

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

पृ0सं0: 19/2019/ 360(1)/छप्पन-2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।